



2026:AHC-LKO:21743

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

लखनऊ

रिट - सी संख्या - 2592 सन 2026

प्रियांशु राय नाबालिग द्वारा कानूनी संरक्षक पिता श्री राम जी राय

..... याचिकाकर्ता(ओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा सचिव / प्रबंध समिति, उत्तर प्रदेश खेल

महाविद्यालय सोसायटी, लखनऊ एवं 3 अन्य

.....प्रतिवादी(ओं)

याचिकाकर्ता(ओं) के अधिवक्ता : अवनीश कुमार राय, शिव कुमार विश्वकर्मा

प्रतिवादी(ओं) के अधिवक्ता : आशुतोष शाही, मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 8

माननीय न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

1. हमने याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री शिव कुमार विश्वकर्मा को, राज्य प्रतिवादियों के विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री यू.सी. सिंह को और प्रतिवादी संख्या 4 के अधिवक्ता श्री आशुतोष शाही को सुना।
2. याचिकाकर्ता, जो एक नाबालिग छात्र है और प्रयागराज स्थित देव स्पोर्ट्स पब्लिक स्कूल में शिक्षा प्राप्त कर रहा था, ने प्रतिवादी संख्या 4 संस्था में प्रवेश लेने के उद्देश्य से शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए कक्षा 9 में प्रवेश हेतु आवेदन किया था।
3. शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए कक्षा 9 में प्रतिवादी संख्या 4 संस्था में प्रवेश के संबंध में, कुछ आयु मानदंड हैं जिनके लिए याचिकाकर्ता को आयु सत्यापन परीक्षा से गुजरना था। आयु निर्धारण परीक्षा में याचिकाकर्ता की आयु अधिक पाई गई।
4. याचिकाकर्ता ने इलाहाबाद स्थित इस न्यायालय के समक्ष रिट-सी संख्या 28452 / 2025 (प्रियांशु राय बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य) दायर की और उक्त रिट याचिका का निस्तारण इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा दिनांक 13.11.2025 को पारित आदेश के माध्यम से किया गया, जिसमें याचिकाकर्ता को अपने माता-पिता के साथ 20.11.2025 को लखनऊ स्थित केजीएमयू में नए चिकित्सा परीक्षण के लिए उपस्थित होने का निर्देश दिया गया ताकि याचिकाकर्ता की आयु का पुनः निर्धारण किया जा सके।
5. इसके अनुसरण में, याचिकाकर्ता की आयु का पुनः निर्धारण किया गया और यह 15 से 16 वर्ष के बीच पाई गई। उपरोक्त जानकारी के आधार पर, याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी संख्या 4 संस्था से संपर्क किया, जिसने इसके बाद केजीएमयू के मेडिकल बोर्ड से याचिकाकर्ता की अधिक सटीक आयु निर्धारित करने का अनुरोध किया और दिनांक 31.12.2025 के पत्र के माध्यम से याचिकाकर्ता की आयु प्रतिवादियों के मानदंड के अनुसार 12 से 15 वर्ष की कट-ऑफ आयु सीमा के भीतर पाई गई।
6. इसके बाद याचिकाकर्ता ने एक बार फिर प्रवेश के लिए प्रतिवादी संख्या 4 संस्था से संपर्क किया। हालांकि, उस समय तक शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए पंजीकरण पहले ही बंद हो चुका था और कोई नया प्रवेश नहीं लिया जा सकता था। इसी कारण से याचिकाकर्ता को प्रवेश नहीं मिल सका।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

7. याचिकाकर्ता को प्रवेश न मिलने के कारण उसने एक बार फिर इलाहाबाद स्थित इस न्यायालय में रिट - सी संख्या 33355 / 2026 दायर की, जिसे क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार के अभाव के आधार पर दिनांक 30.01.2026 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया। उपरोक्त पृष्ठभूमि में याचिकाकर्ता ने निम्नलिखित राहतों के साथ यह याचिका दायर की है, जिनका विवरण नीचे दिया गया है:

- (i) परमादेश की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश प्रतिवादी संख्या 2 को जारी किया जाए कि वह प्रतिवादी संख्या 1 के दिनांक 20.01.2026 के पत्र के अनुसार याचिकाकर्ता का कक्षा 9 में पंजीकरण कराने हेतु प्रतिवादी संख्या 4 के महाविद्यालय, गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज, लखनऊ में पंजीकरण हेतु पोर्टल खोले, और यह पंजीकरण इस माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर किया जाए।
- (ii) न्याय के हित में मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के अनुसार इस माननीय न्यायालय द्वारा उचित समझे जाने वाले किसी भी उपयुक्त रिट या निर्देश को जारी करें।

8. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का निवेदन है कि प्रतिवादी संख्या 4 संस्था में कक्षा नौवीं में प्रवेश के लिए याचिकाकर्ता की आयु 12 से 15 वर्ष के बीच होनी चाहिए, अर्थात् जन्म तिथि 01.04.2010 से 31.03.2013 के बीच होनी चाहिए। याचिकाकर्ता की जन्म तिथि 23.06.2010 है, जो निर्धारित समय सीमा के भीतर है।

9. यह भी कहा गया है कि याचिकाकर्ता शारीरिक परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया था। हालांकि, रिट याचिका लंबित होने और याचिकाकर्ता द्वारा बार-बार कानूनी दांव-पेच में उलझने के कारण, वह कक्षा नौवीं की अपनी शैक्षणिक पढ़ाई पूरी नहीं कर सका, क्योंकि उसने अपने पूर्ववर्ती विद्यालय, देव स्पोर्ट पब्लिक स्कूल से 20.01.2026 को स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया था। अब चूंकि याचिकाकर्ता आयु संबंधी आवश्यकता को पूरा करता है, इसलिए उसे प्रवेश दिया जाना चाहिए।

10. उपरोक्त स्थिति को देखते हुए, याचिकाकर्ता ने ऊपर उल्लिखित राहत के लिए इस न्यायालय का रुख किया है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

11. राज्य के विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता और प्रतिवादी संख्या 4 के विद्वान अधिवक्ता श्री आशुतोष शाही ने प्रस्तुत किया है कि एक से अधिक कारणों से इस स्तर पर याचिकाकर्ता को प्रवेश देना संभव नहीं है। यह बताया गया है कि याचिकाकर्ता ने देव स्पोर्ट पब्लिक स्कूल से कक्षा 9वीं उत्तीर्ण नहीं की है। उसके पास कक्षा 9वीं का उत्तीर्ण प्रमाण पत्र नहीं है, इसलिए उसे कक्षा 10वीं में प्रवेश नहीं दिया जा सकता है। हालांकि, यदि याचिकाकर्ता शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए कक्षा 9वीं में प्रवेश चाहता है, जो लगभग समाप्त हो चुका है, तो एक विसंगति बनी रहेगी, जो जनहित में नहीं है; याचिकाकर्ता की आयु को देखते हुए, यदि उसे अभी प्रवेश दिया जाता है, लेकिन खेल महाविद्यालय में प्रवेश लेने का मुख्य उद्देश्य प्रतिस्पर्धी खेल खेलना है, तो ऐसी परिस्थितियों में याचिकाकर्ता खेल विधा में भाग लेने का हकदार नहीं होगा, क्योंकि कक्षा नौवीं के लिए आयु वर्गीकरण वर्ष 2026-27 के लिए पूरा नहीं होगा।

12. यह भी बताया गया है कि यदि याचिकाकर्ता ने कक्षा 10वीं के लिए आवेदन किया है, तो उसके पास कक्षा 9वीं उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र होना चाहिए, जो उपलब्ध नहीं है क्योंकि याचिकाकर्ता ने जनवरी 2026 में अपना स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया था, जिसका अर्थ है कि आज की तारीख में याचिकाकर्ता ने कक्षा 9वीं उत्तीर्ण नहीं की है। इसके अलावा, बोर्ड कक्षाओं के लिए पंजीकरण पहले ही बंद हो चुका है और कक्षा 9वीं और 10वीं के लिए पंजीकरण पिछले वर्ष ही हो चुका है।

13. याचिकाकर्ता के संबंध में, वह सीबीएसई बोर्ड के अंतर्गत शिक्षा प्राप्त कर रहा था, जिससे देव स्पोर्ट पब्लिक स्कूल संबद्ध था। हालांकि, प्रतिवादी संख्या 4 उत्तर प्रदेश माध्यमिक बोर्ड से संबद्ध है। उपरोक्त परिस्थितियों में, याचिकाकर्ता को समायोजित करना संभव नहीं है।

14. न्यायालय ने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की बात सुनी और अभिलेखों पर मौजूद सामग्री का अवलोकन भी किया।

15. स्पष्ट रूप से, इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि पूर्ववर्ती संस्थान देव स्पोर्ट्स पब्लिक स्कूल से स्थानांतरण प्रमाण पत्र लेते समय याचिकाकर्ता ने आज तक कक्षा नौवीं की पढ़ाई पूरी नहीं की है और इसके अलावा याचिकाकर्ता का 20.01.2026 से आज तक किसी भी स्कूल में कोई पंजीकरण नहीं है। यह उचित होगा कि याचिकाकर्ता को शैक्षणिक वर्ष 2026-27 में कक्षा नौवीं में पुनः प्रवेश लेना होगा।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

हालांकि, तब वह प्रतिवादी संख्या 4 संस्थान में कक्षा नौवीं में प्रवेश के लिए निर्धारित आयु सीमा के भीतर नहीं होगा।

16. कक्षा दसवीं के बाद के पाठ्यक्रम के पंजीकरण के संबंध में, कक्षा नौवीं का प्रमाण पत्र सफलतापूर्वक प्राप्त न करने के कारण याचिकाकर्ता को कक्षा दसवीं में प्रवेश नहीं दिया जा सकता है।

17. निर्विवाद तथ्य के आलोक में, याचिकाकर्ता ने कक्षा नौवीं सफलतापूर्वक उत्तीर्ण नहीं की है और स्थानांतरण प्रमाण पत्र लेकर इसे बीच में ही छोड़ दिया है, इसलिए उसे प्रवेश नहीं दिया जा सकता, क्योंकि व्यावहारिक रूप से शैक्षणिक सत्र 2025-26 समाप्त हो चुका है। याचिकाकर्ता के पास कोई उत्तीर्ण प्रमाण पत्र नहीं है और यदि उसे शैक्षणिक वर्ष 2026-27 में कक्षा नौवीं में प्रवेश दिया जाता है, तो वह प्रतिवादी संख्या 4 संस्था के आयु मानदंड का उल्लंघन करेगा। चूंकि याचिकाकर्ता ने कक्षा नौवीं उत्तीर्ण नहीं की है और सत्र लगभग समाप्त हो चुका है, और यह स्वीकार किया जाता है कि याचिकाकर्ता की उपस्थिति कम होगी, और यदि उसे प्रवेश दिया जाता है, तो उसे पुनः प्रवेश (नया पंजीकरण) कराना होगा क्योंकि उसने स्थानांतरण प्रमाण पत्र 20.01.2026 को प्राप्त किया था।

18. आयु मानदंड निर्धारित करने और उसका कड़ाई से पालन करने का मूल उद्देश्य यह है कि जब खेल महाविद्यालय में विधिवत नामांकित बच्चे विभिन्न आयु वर्गों के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर के खेलों में भाग लेते हैं, तो इन राष्ट्रीय खेलों में भाग लेने से पहले उनकी आयु निर्धारित की जाती है। यदि ऐसा किया जाता है, तो याचिकाकर्ता आयु के कारण खेलों से अयोग्य घोषित हो जाएगा और इससे उस संस्थान या टीम पर भी कलंक लगेगा जिससे याचिकाकर्ता प्रतिस्पर्धा करेगा। अतः, व्यापक जनहित में याचिकाकर्ता के मामले को नियमों में ढील देकर प्रवेश देने की अनुमति देकर कमजोर नहीं किया जा सकता।

19. तदनुसार, यदि याचिकाकर्ता के मामले पर खेल संबंधी कारणों से विचार किया जाए तो वह शैक्षणिक वर्ष 2026-27 के लिए निर्धारित मानदंडों को पूरा नहीं करता है। यदि शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए इस पर विचार किया जाए तो याचिकाकर्ता को कक्षा 9वीं की परीक्षा फिर से देनी होगी, और वह भी सत्र 2026-27 में, क्योंकि याचिकाकर्ता के पास कक्षा 9वीं उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र नहीं है, और इस प्रकार वह आयु संबंधी मानदंड का उल्लंघन करता है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

20. चूंकि याचिकाकर्ता पहले ही स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्राप्त कर चुका है, इसलिए उसे नए सिरे से प्रवेश लेना होगा। हालांकि, चूंकि याचिकाकर्ता ने देव स्पोर्ट पब्लिक स्कूल प्रयागराज के माध्यम से सीबीएसई बोर्ड में अपना पंजीकरण कराया है, इसलिए यह उचित होगा कि यदि याचिकाकर्ता देव स्पोर्ट पब्लिक स्कूल प्रयागराज में नए सिरे से प्रवेश चाहता है, तो उस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाए, ताकि देव स्पोर्ट पब्लिक स्कूल के माध्यम से बोर्ड में किया गया उसका पंजीकरण याचिकाकर्ता के शैक्षणिक करियर की रक्षा के लिए मान्य हो, यदि यह कानून के अनुसार अनुमत हो।

21. उपरोक्त कारण से, मांगी गई राहत प्रदान नहीं की जा सकती, लेकिन उपरोक्त टिप्पणियों के अधीन याचिका का निस्तारण उपरोक्त शर्तों के अनुसार किया जाता है।

[न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह]

मार्च 26, 2026

अंक

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।